

- (3) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 41, दिनांक 30 जनवरी, 1999।
- (4) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 शुद्धिपत्र सा.का.नि.125 दिनांक 24 अप्रैल, 1999 सहित, को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 58, दिनांक 27 फरवरी, 1999।
- (5) शिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 190, (अ) दिनांक 26 फरवरी, 1999। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये सं.एल०टी०827/99]
- (6) शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुता नियम, 1991, शुद्धिपत्र का.आ. 2268 (अ) दिनांक 7 अगस्त, 1999 सहित केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने वाला का.आ.426 (अ) दिनांक 9 जून, 1999। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं एल० टी०828/99]

Reports and Accounts (1997-98, 1996-97) of Marine Products Export Development Authority Kochi and Coffee Board, Bangalore and related papers

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत) : श्रीमन में श्री उमर अब्दुल्ला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-
 - (क) 1997-98 के वर्ष के लिए मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथोरिटी, कोची का वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।
 - (ख) उपर्युक्त अथोरिटी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।
- II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

- (क) 1996-97 के फसल मौसम के लिए पूल एण्ड एकाउन्ट्स ऑफ कॉफी बोर्ड, बंगलौर का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये सं एल० टी० 1253/99]

- I. Notifications of the Ministry of Surface Transport**
- II. Reports and Accounts (1998-99, 1997-98) of the Madraock Labour Board and various Port Trusts and National Ship Design and Research Centre, Visakhapatnam and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): Sir, I lay on the Table —

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Surface Transport (Labour Division) S.O. 611(E) dated 29.7.1999 revoking the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, under Section 8A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948. [Placed in Library. See No. L.T. 1285/99]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following notifications of the Ministry of Surface Transport (Ports Wing), under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trust Act, 1963, alongwith delay statement thereon:—

G.S.R. 680(E) dated 28.11.1997 publishing the Mumbai Port (Licensing and Control of Pilots) Amendment Regulations, 1997.

G.S.R. 85(E) dated 10.2.1999 publishing the New Mangalore Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulation, 1999.

G.S.R. 121(E) dated 18.2.1999 publishing the Mumbai Port Trust Employees (Allotment & Occupancy of Residences) Amendment Regulations, 1999. [Placed in Library. See No. L.T. 1254/99]